स्थापित : 1995

पुरस्कृत शिक्षक फोरम, राजस्थान

(राज्य के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षकों की प्रतिनिधि संस्था)

कार्यालय : 3/403, चित्रकूट, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर - 302 021 मो. : 9413801999
फोन : 0141-2440503 • E-mail : puraskritshikshakforumraj@gmail.com

फोरम की क्रियाशीलता एवं अनवरत प्रयासों की परिणिति - एक झलक

राज्य के राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक व गौरवमयी उपलब्धियाँ

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 50 प्रतिशत किराये में छूट के निर्देश।

स्थानान्तरण पदस्थापन में प्राथमिकता - प्रस्तावित तीन विकल्पों (विद्यालयों) में से किसी एक विकल्प (विद्यालय) पर पदस्थापन के निर्देश।

विभाग सहित अन्य राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय राजकीय समारोहों में आमंत्रित किये जाने हेतु शासन स्तर से समस्त विभागाध्यक्ष एवं जिला कलेक्टरों को निर्देश।

शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सहित सभी जुड़े उपक्रमों में राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय अकादमी कमेटियों में प्रतिनिधित्व देने के निर्देश।

राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार की राशि शिक्षक दिवस 2012 से ₹ 11000.00 से बढ़ा कर ₹ 21000.00 करने के बजट हेतु राज्य सरकार से शिक्षक दिवस 2011 को फोरम की मांग पर की गई घोषणा के आदेश राज्य सरकार से निकलवाये गये निर्देश।

राज्य के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के सूचना पट्ट पर जिले के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षकों के नामों की सूची लगाने के निर्देश।

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से भ्रमण सुविधा के लिए ''भ्रमण यात्रा की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं'' के आदेश राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान नई दिल्ली से दिनांक 29.7.2009 से लागू करवाये गये निर्देश।

महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित (राष्ट्रीय पुरस्कृत) सभी शिक्षकों को राज्य के किसी भी निकाय (जेडीए जयपुर सहित) में एक बार 200 वर्ग मीटर तक का भूखण्ड आरक्षित दर पर प्राप्त करने का अधिकार (राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि का निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17 (ए) के अन्तर्गत आने वाले निर्देश।